दिनांक २६.०४.२०१७

सुना गया।

प्रार्थी मथुन पुत्र स्व० महमूद की ओर से उसके अधिवक्ता श्री प्रेम नरायण कटियार ने मुकदमा एस०एस०टी० सं.९५/२००८ धारा–३९४ भा०दं०सं०, थाना अकबरपुर में यह प्रार्थनापत्र दिया है और यह कहा है कि एस०टी० सं.१५४/२०११ सरकार बनाम पुत्तन आदि थाना शिवली धारा–१४७,१४८,३०७ भा०दं०सं० में न्यायालय स्पेशल जज डकैती के आदेश से जेल में निरूद्ध है। इस पत्रावली में उसने स्वयं को तलब करने की याचना की है। अपने कथन के समर्थन में उसने शपथपत्र भी लगाया है। इस संबंध में मेरे समक्ष मुकदमा एस०एस०टी० सं.९५/०८ सरकार बनाम मिथुन धारा–३९४भा०दं०सं०, थाना अकबरपुर की पत्रावली मौजूद है जिससे यह प्रकट होता है कि यह अभियुक्त मिथुन काफी समय से अनुपस्थित चल रहा है। उसके खिलाफ विगत काफी समय से गैर जमानतीय अधिपत्र भी निर्गत हो रहा है। अतः अभियुक्त मिथुन का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि उसे उक्त मुकदमें जेल से २९.०४.२०१७ को तलब कर इस मुकदमें में न्यायिक हिरासत में लेकर उसका वारंट बनाया जाये।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)